

**न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना, जिला-सतना (म.प्र.)**

क्रमांक-

/24

सतना, दिनांक : 04.04.24

**(आदेश)**

मैं, अनीता खजुरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-सतना (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत माह-अप्रैल व मई 2024 की अवकाश अवधि में अत्यावश्यक दायित्व कार्य सम्पादन हेतु नीचे वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की डियुटी उनके समक्ष अंकित तिथि के लिये लगाती हूँ। उक्त तिथियों में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना की न्यायालय कक्ष में सायं 3:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य उपस्थित होकर अत्यावश्यक दायित्व कार्य एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे। -

क.	रिमाण्ड कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह अप्रैल	माह मई
1	2	3	4
1	श्री प्रशांत मर्सकोले	-	5
2	श्रीमती कामिनी प्रजापति	7	-
3	कु. शिखा रघुवंशी	9	23
4	श्रीमती मीता पवार जंदेल,	11	-
5	सुश्री सोनाली वर्मा	-	12
6	श्रीमती रेणू यादव,	14	-
7	श्री शैलेन्द्र उईके,	17	-
8	कु. अनुप्रेक्षा जैन	-	18
9	सुश्री मयूरी गुप्ता	-	19
10	श्रीमती शक्ती वर्मा,	21	-
11	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल	28	-
12	श्री अजय प्रताप सिंह यादव,	-	-
13	सुश्री वंदना मालवीय,	-	26

नोट:-

- कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना (म.प्र.) के विविध आदेश क्रमांक-64/चार-1-1/2013/14 सतना, दिनांक-24.06.2014 अनुसार सार्वजनिक अवकाश दिवसों में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सतना के आपराधिक प्रकरणों में गिरफ्तार व्यक्तियों को रिमाण्ड डियुटी में उपस्थित न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा।
- अवानक अवकाश घोषित होने पर माह-अप्रैल व मई 2024 में श्री प्रशांत मर्सकोले, जे.एम.एफ.सी. सतना, आवश्यक कार्य एवं रिमाण्ड सम्पादित करेंगे और यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वह अनुपस्थित रहते हैं तो मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा रिमाण्ड व आवश्यक कार्य सम्पादित किया जाएगा।
- पुलिस अधीक्षक, सतना से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ प्रत्येक थानों पर यह निर्देश प्रसारित करें कि अवकाश अवधि पर रिमाण्ड एवं आवश्यक कार्य लेकर हर हालत में सायं 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
- सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में रिमाण्ड के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रेप विक्टिम के कथन (अंतर्गत धारा-164 द.प्र.सं.) लेखबद्ध किये जायेंगे।
- किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट व सदस्यों के अवकाश/अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त न्यायालय की रिमाण्ड उपरोक्तानुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

(अनीता खजुरिया)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक- 87(2)/24

सतना, दिनांक 04.04.24

प्रतिलिपि:-

- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला सतना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- पुलिस अधीक्षक सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- किमिनल रीडर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना (म.प्र.)
- सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय सतना (म.प्र.) को आदेश की प्रति सगी उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं पुलिस अधीक्षक, सतना को ई-मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।

(अनीता खजुरिया)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सतना (म.प्र.)